

न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ
बटाईदारी वाद संख्या-10/1995
धारा-48 (F) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत

भीम लाल सोरेन, पिता-बड़कू सोरेन, साकिन-परोरा, टोला-दरनियाँ, थाना-कै0 नगर,
जिला- पूर्णियाँ..... आवेदक

बनाम

1. (A) राजेश कुमार चौधरी, पिता-स्व0 मुकुन्द कुमार चौधरी
2. (B) गनमाला देवी, पति- स्व0 मुकुन्द कुमार चौधरी, साकिन-परोरा, थाना-कै0 नगर,
जिला-पूर्णियाँ..... विपक्षी

आदेश

आवेदक श्रीमती परमजीत कौर, प्रभारी भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर, पूर्णियाँ द्वारा बटाईदारी वाद संख्या-110/1992-93 (धारा-48E बी0टी0 एक्ट) में दिनांक 09.12.1994 को पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक विपक्षी के पिता से मौजा-परोरा, खाता नं0-170, खेसरा नं0-249, रकवा-0.66 डिसमिल, खेसरा नं0-249, रकवा-1.00 एकड़ जमीन 12-13 वर्ष पूर्व विपक्षी संख्या-1 के पिता से बटाई पर लिया था और बटाई लेने के बाद लगातार फसल बांटकर विपक्षी को देने लगा। इस बीच विपक्षी उपरोक्त जमीन को बेचने का प्रयास करने लगे, किन्तु बटाईदार (आवेदक) के देखभाल जमीन रहने के कारण कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने के लिये तैयार नहीं हुए। इसी उद्देश्य से भूस्वामी आवेदक पर जमीन खाली करने का दबाव देने लगे। फलस्वरूप आवेदक अपने बटाई हक के लिये भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर के न्यायालय में बटाईदारी वाद संख्या-110/1992-93 दायर किया। स्थायी भूमि सुधार उप-समाहर्ता के नहीं रहने के कारण श्रीमती परमजीत कौर, प्रभारी भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर के द्वारा वाद की सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से निम्न न्यायालय में कहा गया कि आवेदक पक्षकार के अभाव में वाद खारिज होने योग्य है। उल्लेखनीय है कि विपक्षी ने आवेदक जमीन का मौखिक बंटवारा कर अपना हिस्सा बटाई पर दिया था। जमीन खाली करवाने के कारण विवाद इतना बढ़ गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर द्वारा शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत वाद संख्या-292M/94 पारित किया गया। स्पष्ट है कि आवेदक प्रश्नगत जमीन पर बटाईदार है और खेती कर रहा है। उपरोक्त सारे तथ्यों को नजर अन्दाज कर निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक के हित के विचार आदेश पारित किया गया। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि अपने नजर से वाद की सुनवाई कर आवेदक को बटाईदारी हक प्रदान करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षी के पिता ने कभी भी आवेदक को जमीन बटाई पर नहीं दिया था। बल्कि भूमि हड़पने के अभियान में आवेदक के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी प्रश्नगत जमीन के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न जमीनों को बलपूर्वक जोतने लगा। बलपूर्वक

1


2


बलपूर्वक जमीन को कब्जा कर निम्न न्यायालय में बटाईदारी वाद दायर किया। तत्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्ता वास्तविकता को जानते हुए वाद को प्रविष्टि के पक्ष पर ही खारिज कर दिये। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के पक्ष में अतः विपक्षी इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 18.11.2011 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक हाजरी देने के बाद भी अनुपस्थित रहे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में भी ये लगातार अनुपस्थित रहे, इस कारण से दिनांक 25.07.2011 को अंतिम मौका देते हुए न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। इससे स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा इस वाद के निष्पादन में कोई रुचि नहीं लिया जा रहा है, बल्कि विलम्ब करने का प्रयास स्पष्ट होता है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उनके लिखित आवेदन पत्र में दिये गये बातों को दोहराते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को सही ठहराया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के बाद स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें तथ्यों की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद को समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता, पूर्णियाँ


समाहर्ता, पूर्णियाँ